न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

सेशन प्रकरण संख्याः– 05/2013

C. I. S. No.:– 138/2015

राजस्थान राज्य बनाम मनफूलराम आदि

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–103/2013 पुलिस थाना अनूपगढ,

अपराध अन्तर्गत धारा –458, 459, 323, 325, 308, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी का नाम व पता	बलकरण जीतसिंह उर्फ रिंकू पुत्र मक्खन सिंह, निवासी आरसीपी कॉलोनी वार्ड नं. 01 अनूपगढ़
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	01. मनफूलराम पुत्र लालाराम, निवासी 03–के, पुलिस थाना अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.) 02. अजीत सिंह पुत्र कश्मीरसिंह, निवासी वार्ड नं. 13 अनूपगढ़, पुलिस थाना अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) 03. शम्मी उर्फ शमशेर सिंह पुत्र मेलखसिंह, निवासी वार्ड नं. 12 अनूपगढ़, थाना अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.) **–मफरूर**
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री चन्द्रवीर सिंह
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री सुखविन्द्र सिंह
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	––

B

अपराध की दिनांक	17.02.2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	18.02.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04.03.2013
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	31.03.2018

साक्ष्य आरंभ की दिनांक	02.02.2019
बहस अंतिम की दिनांक	06.04.2026
निर्णय दिनांक	06.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	मनफूलराम	20.02.13	19.03.13	458, 459, 323/34, 325/34, 308/34, 427/34 भा.द.सं.	**दोषमुक्त**	–	दि0 20.02.13 से 21.02.13 तक पीसी दि0 21.02.13 से 19.03.13 तक जेसी दि0 26.02.26 से 16.03.26 तक जेसी
02	अजीत सिंह	20.02.13	20.03.13	''–''	**दोषमुक्त**	–	दि0 20.02.13 से 21.02.13 तक पीसी दि0 21.02.13 से 20.03.13 तक जेसी
03	शमी उर्फ शमशेरसिंह	**मफरूर**	–	–	–	–	–

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षीगण की सूची

अ–अभियोजन साक्षीगण

क्र.सं.	गवाह का नाम
01.	पी.डब्ल्यू.–01 – बलजीत कौर
02.	पी.डब्ल्यू.–02 – अमित
03.	पी.डब्ल्यू.–03 – हरविन्द्र सिंह
04.	पी.डब्ल्यू.–04 – परमपालसिंह
05.	पी.डब्ल्यू.–05 – गुरपालसिंह
06.	पी.डब्ल्यू.–06 – बलकरणजीत सिंह
07.	पी.डब्ल्यू.–07 – डॉ. आनन्द गोदारा
08.	पी.डब्ल्यू.–08 – करमजीत कौर
09.	पी.डब्ल्यू.–09 – कमल लाल

10.	पी.डब्ल्यू.–10 – अमरजीत चावला
11.	पी.डब्ल्यू.–11 – बचनसिंह

ब–बचाव साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––	––

स–न्यायालय साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श मार्क सं.	दस्तावेज विवरण
01.	प्रदर्श–पी–01	नक्शा मौका,
02.	प्रदर्श–पी–1ए	हालात मौका घटनास्थल
03.	प्रदर्श–पी–02	फर्द मकबूलगी खून
04.	प्रदर्श–पी–03	फर्द निरीक्षण बोलेरो गाड़ी
05.	प्रदर्श–पी–04	फर्द मकबूलगी खून कमीज टीशर्ट
06.	प्रदर्श–पी–05	फर्द बरामदगी डण्डा व लाठी
07.	प्रदर्श–पी–06	फर्द बरामदगी एक लाठी बांस, डंडा
08.	प्रदर्श–पी–07	फर्द बरामदगी आरोपी मनफूल एक लाठी बांस व डाडा
09.	प्रदर्श–पी–08	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
10.	प्रदर्श–पी–09	मुकदमा दर्ज करने बाबत् दी गई रिपोर्ट
11.	प्रदर्श–पी–09	बलकरण सिंह का चोट प्रतिवेदन
12.	प्रदर्श–पी–10	बलकरण सिंह की एक्सरे रिपोर्ट
13.	प्रदर्श–पी–11	बलकरण सिंह की एक्सरे प्लेट
14.	प्रदर्श–पी–12	बलजीत कौर का चोट प्रतिवेदन पत्र
15.	प्रदर्श–पी–13	बलजीत कौर की एक्सरे रिपोर्ट
16.	प्रदर्श–पी–14	बलजीत कौर की एक्सरे प्लेट
17.	प्रदर्श–पी–15	पुलिस बयान करमजीत कौर

18.	प्रदर्श–पी–16	इन्द्राज मालखाना रजिस्टर क्र.सं. 37/640, प्रति प्रदर्श–16–ए
19.	प्रदर्श–पी–17	प्रथम सूचना रिपोर्ट
20.	प्रदर्श–पी–18	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त मनफूलराम
21.	प्रदर्श–पी–19	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त शमी उर्फ शमशेर
22.	प्रदर्श–पी–20	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त अजीतसिंह
23.	प्रदर्श–पी–21	मुलजिम अजीत सिंह की फर्द ईत्तिला
24.	प्रदर्श–पी–22	मुलजिम शमी उर्फशमशेरसिंह की फर्द ईत्तिला
25.	प्रदर्श–पी–23	मुलजिम मनफूल की फर्द ईत्तिला
26.	प्रदर्श पी24–29	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स
27.	प्रदर्श पी30–34	चिटदस्तख्ती (30ए ता. 34ए)

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	आर्टिकल नंबर	विवरण
01.	आर्टिकल–1	एक कांच की सीसी
02.	आर्टिकल–2 व 03	कमीज व टीशर्ट खून आलूदा
03.	आर्टिकल–4 ता. 06	डंडे

अपराध अन्तर्गत धारा–458, 459, 323/34, 324/34, 308/34 व 427/34 भारतीय दंड संहिता

–निर्णय–

दिनांकः 06.04.2026

01. यह अभियोग पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ की ओर से अभियुक्तगण शम्मी उर्फ शमशेर सिंह, अजीत सिंह व मनफूलराम के विरूद्ध धारा 458, 459, 323, 325, 308, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा

अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से धारा 209 दंड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय को सुपुर्द होकर प्राप्त होने पर दिनांक 15.03.2013 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध हुआ।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी बलकरणजीत सिंह द्वारा दिनांक 18.02.2013 को एक हस्तलिखित रिपोर्ट पुलिस थाना अनूपगढ़ में इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 17.02.2013 को रात के करीब 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर शम्मी उर्फ शमशेर सिंह, अजीत सिंह, गोविन्दसिंह, विपिन गोमा और तीन–चार अन्य लोग प्रार्थी के घर पर आये और घर में घुसकर प्रार्थी के साथ मारपीट की। प्रार्थी के घर का मैन गेट तोड़कर उक्त मुलजिमान घर में घुसे , जो पिस्टल, लौहे की रोड़ और हॉकी और लाठियां लेकर आये थे। प्रार्थी के सिर में अजीत सिंह ने लौहे की रोड़ से वार किया, जिससे सिर में काफी गहरी चोट लगी। प्रार्थी की टांगों पर काफी चोटें लगी। प्रार्थी की मां –बहिन व घरवाली ने बीच–बचाव करने की कोशिश की तो उक्त मुलजिमान ने उनके साथ भी मारपीट की और प्रार्थी की मां के लात में फ्रेक्चर है। प्रार्थी के गले में सोने की चैन थी। मां और बहिन के भी सोने की चैन थी वो उक्त मुलजिमान ले गए और घर में सामान भी काफी तोड़ दिया। प्रार्थी के घर के बाहर बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, उस पर लौहे की रोड़ और हॉकी से काफी तोड़–फोड़ की। शौर –शराबा सुनकर आस–पड़ोस के लोग आये तब मुलजिमान भाग गए। मुलजिमान धमकी देकर गये कि आज तो सिर फटा है और अब मौका मिला तो तुम्हारे सारे परिवार को जान से मारेंगे, आदि–आदि। परिवादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2013, अपराध अंतर्गत धारा 458, 308, 323, 382, 147, 148, 149, 427 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त शम्मी उर्फ शमशेर सिंह, अजीत सिंह व मनफूलराम के विरूद्ध धारा 458, 459, 323, 325,

308, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में उक्तानुसार आरोप पत्र पेश किया गया।

03. बहस आरोप उभय पक्ष सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 458, 459, 323/34, 325/34, 308/34, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिसे अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

नोटः– अभियुक्त शमी उर्फ शमशेर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर साक्षी रामकुमार पुत्र राजाराम हाल कानि. 737 पुलिस थाना अनूपगढ़ की मफरूरी बाबत साक्ष्य ली जाकर अभियुक्त शमी उर्फ शमशेर सिंह को 15.01.2026 को **मफरूर घोषित** किया गया। **अतः प्रकरण का निस्तारण अभियुक्तगण मनफूलराम व अजीतसिंह की हद तक** ही किया जा रहा है।

04. अभियुक्तगण मनफूलराम व अजीत सिंह के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए अभिकथन किया कि "परिवादी के द्वारा व बलकरणसिंह के द्वारा जो नशेड़ी किस्म का है, उसने जानबूझकर उनके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा करवाया है। उनके द्वारा मजरूबगण के साथ कोई मारपीट नहीं की गई" तथा अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, बावजूद अवसर दिये जाने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

05. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

---

06. दौराने बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि प्रकरण में गवाह पी .ड.02 अमित, पी.ड.03 हरविन्द्र सिंह, पी.ड.04 परमपाल सिंह, पी.ड.05 गुरपालसिंह एवं पी.ड. 08 करमजीत कौर पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं अन्य साक्षीगण के बयानों में भारी विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

07. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार व मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व सुसंगत विधि का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु तय किया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होता हैः–

01. आया अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.02.2013 को रात्रि के करीब 10.00 बजे या उसके लगभग वार्ड नं. 01 अनूपगढ़ स्थित परिवादी बलकरणजीतसिंह के रिहायशी मकान में सामान्य आशय के अग्रसरण में उपहति, हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं गृह भेदन कर, परिवादी बलकरणजीतसिंह व आहता बलजीतकौर के साथ स्वेच्छया कुन्दालय से मारपीट कर साधारण एवं गम्भीर उपहतियां की एवं परिवादी के घर का मैन गेट, घर का सामान व परिवादी की बोलरो गाड़ी की तोड़–फोड़ कर पचास रूपये या उससे अधिक का नुकसान/रिष्टि कारित की एवं परिवादी बलकरणजीतसिंह व आहता बलजीतकौर के साथ लौहे की रॉड व लाठियों से मारपीट कर पहुंचाई गई चोटों से परिवादी/आहतगण की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते ?

02. यदि हाँ, तो अभियुक्तगण को किस दंड से दंडित किया जावे ?

08. प्रकरण में उपर्युक्त अवधारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का क्रमवार संक्षेप में अवलोकन किया जाना आपेक्षित है, जो निम्नानुसार हैः–

09. इस प्रकरण का उद्भव परिवादी बलकरणजीत सिंह द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट

प्रदर्श पी–09 के आधार पर हुआ है। परिवादी बलकरणजीत सिंह पी.ड.06 के रूप में परीक्षित हुआ है, ने अपने मुख्य परीक्षा में न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.02.2013 को उसका शमशेरसिंह व अजीतसिंह के साथ गाड़ी की साईड को लेकर झगड़ा हो गया था, उस समय गाली–गलोच करके वो चले गये। बाद में रात को 10.00 बजे उसी दिन वह घर पर काम कर रहा था तो शमशेर ने उनके सरकारी आवास का दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला तो घर में घुसकर शमशेरसिंह व उसके साथियों ने तोड़फोड़ की, उसकी बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, घर का सामान बिखेरने लगे। बीच–बचाव करने उसकी माता आई तो उस पर भी उन लोगों ने लाठी से टांग पर वार किया, उसकी टांग फ्रेक्चर हो गई। शमशेरसिंह ने उसके सिर पर लौहे की रॉड़ से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। झगड़े की आवाज सुनकर अंग्रेजसिंह वगैरह ने बीच–बचाव करके छुड़ाया तो वे वहाँ से भाग गये। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर गये, उसे अनूपगढ़ से बीकानेर रैफर कर दिया। थानाधिकारी को उसके द्वारा दिनांक 18.02.2013 को मुकदमा दर्ज करने के लिए रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 दी। फर्दात– नक्शा मौका प्रदर्श पी–01, फर्द मौजूदगी खून घटनास्थल प्रदर्श पी–02, फर्द निरीक्षण बोलेरो गाड़ी प्रदर्श पी–03 एवं फर्द मौजूदगी पारचात खून आलूदा कमीज टी–शर्ट प्रदर्श पी–04 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है। उक्त साक्षी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन करता है कि जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस दिन मारपीट करने जो लोग आये थे, वह उनमें शमशेरसिंह को जानता है, बाकी लोगों के मुंह बंधे हुए थे, उनको वह नहीं जानता। यह कहना सही है कि शमशेरसिंह ने उसके चोट पहुंचाई थी, चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया था और नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि बीच बचाव में जब उसकी माताजी ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसको भी शमशेरसिंह ने चोट मारी। शमशेरसिंह के साथ उसका साईड को लेकर झगड़ा हुआ था।

इसी अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षी

पी.ड. 01 बलजीत कौर जो परिवादी पी.ड.06 बलकरणजीत सिंह की माता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.02.2013 को रात 10 बजे वह, उसका बेटा, पुत्री, पुत्रवधु चारों अपने घर आर.सी.पी. कॉलोनी में थे, इतने में घर का दरवाजा तोड़कर अजीत, शमशेर उर्फ शम्मी, मनफूल व तीन–चार अन्य घर में आये, इन्होंने उसके लड़के के लाठी की चोट मारी। उसने बीच–बचाव किया तो अजीत ने उसके पैर पर लाठी की चोट मारी। उसके लड़के के साथ तीनों ने मारपीट की। जब वह छुड़ाने लगी तो एक ने उसे पकड़कर खींचा और दूसरे ने लाठी मारी। इन्होंने उनके घर में तोड़फोड़ की। उसकी बच्ची की चैन छीनकर ले गये और जाते समय उनकी बोलेरो गाड़ी के शीशे तोड़ दिये, गाड़ी की भी तोड़फोड़ की। फिर अनूपगढ अस्पताल में उन्हें ईलाज हेतु लेकर गये, उसके लड़के को बीकानेर रैफर कर दिया। उसके पैर पर आयी चोट से पैर फ्रेक्चर हो गया था, जो अभी भी पुरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उक्त साक्षी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन करती है कि उनकी उक्त तीनों मुलजिमान से कोई दुश्मनी नहीं है। वह तीनों मुलजिमान को पहले से जानती थी फिर कहा कि मनफूल को नहीं जानती, अन्य दोनों को जानती थी। उसने अपने पुलिस बयान में मनफूल द्वारा अपने लाठी की चोट मारने की बात नहीं लिखवाई, पुलिस ने क्यों लिखी, उसे नहीं पता।

प्रकरण की अन्य महत्त्वपूर्ण साक्षी पी.ड. 08 करमजीत कौर, जो घटना की चश्मदीद साक्षी है, उक्त साक्षी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जो कथन करती है कि उसने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं देखा तथा उसके सामने बलजीत कौर व बलकरणजीत सिंह के साथ किसी ने मारपीट नहीं की। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि 'यह कहना गलत है कि दिनांक 17.02.2013 को उसके सामने बलकरण के साथ किसी ने मारपीट की हो। यह सही है कि बलकरणसिंह उसका भाई है, बलजीतकौर उसकी माता है।

अन्य साक्षी पी.ड.02 अमित भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित

हुआ है, जो कथन करता है कि उसे नहीं पता कि बलकरण सिंह के साथ किसी का झगड़ा हुआ हो। उक्त साक्षी दौराने प्रतिपरीक्षा जरिए अपर लोक अभियोजक में कथन करता है कि प्रदर्श–पी–01 नक्शा मौका, प्रदर्श–पी–02 फर्द मकबूलगी खून, प्रदर्श पी–03 व 04 फर्द मकबूलगी कमीज व टी–शर्ट पर पुलिस ने खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि यह बात सही है कि पुलिस द्वारा प्र0पी 1 ता 4 उसके सामने तैयार नहीं किये थे, पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, सारी कार्यवाही उसके सामने नहीं की।

अन्य साक्षी पी.ड.03 हविन्द्र सिंह भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो कथन करता है कि उसने बलकरण सिंह का अजीतसिंह, मनफूलराम व शमशेर सिंह के साथ झगड़ा होते नहीं देखा। उक्त साक्षी दौराने प्रतिपरीक्षा जरिए अपर लोक अभियोजक में कथन करता है कि प्रदर्श –पी–01 नक्शा मौका, प्रदर्श–पी–02 फर्द मकबूलगी खून, प्रदर्श पी–03 व 04 फर्द मकबूलगी कमीज व टी–शर्ट पर पुलिस ने खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त साक्षी अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि यह बात सही है कि पुलिस द्वारा प्र0पी 1 ता 4 उसके सामने तैयार नहीं किये थे, पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्र0पी 1 ता 4 की कार्यवाही उसके सामने नहीं की।

साक्षी पी.ड.04 परमपालसिंह, जो फर्द बरामदगी का साक्षी है, उक्त साक्षी भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो कथन करता है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर खाली कागजात पर करवाए थे तथा प्रदर्श–पी–05 फर्द बरामदगी डण्डा व लाठी, प्रदर्श–पी–06 फर्द बरामदगी एक लाठी बांस व डण्डा, प्रदर्श–पी–07 फर्द बरामदगी आरोपी मनफूलसिंह एक लाठी बांस, डण्डा एवं प्रदर्श–पी–08 नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परन्तु नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया। उसे किसी झगड़े के बारे में कोई पता नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई बरामदगी नहीं की। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षा में यह कथन करता है कि उसने जसकरणसिंह

के घर में घुसकर मनफूल, शम्मी, अजीतसिंह के द्वारा मारपीट करने के बाद तोड़फोड़ करने की बात पुलिस को नहीं बताई थी।

साक्षी पी.ड.05 गुरपालसिंह, जो फर्द बरामदगी का साक्षी है, उक्त साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि बलकरणसिंह उसका भतीजा है। वह मनफूल को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी कथन करता है कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

साक्षी पी.ड.07 डॉ. आनन्द गोदारा चिकित्सकीय साक्षी है, जो दिनांक 17.02.2013 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूपगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर बलकरणजीतसिंह की चोटों का मुआयना किया, जिसके चोट सं. 01–8x2 सेमी. गहरा सिर के दांयी तरफ जो कुन्दाला हथियार से कारित है, जिसके लिए एक्सरे और सी.टी, स्केन की सलाह दी गई। चोट सं. 02–खरोंच का निशान 3x1 सेमी. दांये घुटने पर जो कि कुन्दाला हथियार से कारित है। चोट नम्बर 01 एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य प्रकृति की थी, कोई फ्रैक्चर नहीं था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.09, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 10, एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 11 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। उसी रोज पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा बलजीत कौर की चोटों का मुआयना किया गया, जिसके चोट सख्या 01 में दांये घुटने से नीचे दर्द का होना जाहिर किया गया। चोट कुन्दाला हथियार की थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। एक्स–रे रिपोर्ट के मुताबिक चोट गम्भीर प्रकृति की थी । मुताबिक रिपोर्ट Hair Line Fracture हड्डी के उपर पाया गया। चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श–पी–12, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–पी–13, एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–14 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी यह कथन करता है कि यह बात सही है कि उक्त चोटें मजरूब के जमीन पर गिरने के कारण भी आ सकती है।

साक्षी पी.डब्ल्यू. 09 कमल लाल जो मालखाना प्रभारी है, ने न्यायालय के सक्षम अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.02.2013 को वह पुलिस थाना अनूपगढ में मालखाना ईंचार्ज के पद पर कार्यरत था, उस रोज अनुसंधान अधिकारी बचनसिंह ने उसे इस मुकदमा के वजह सबूत के सील्ड पैकेट मार्क–ए लाकर दिया। दिनांक 19.02.2013 को वजह सबूत पैकेट मार्क–बी लाकर दिया। दिनांक 21.02.2013 को वजह सबूत के पैकेट मार्क–सी, डी व ई लाकर दिये, जिन्हें उसने सील्ड हालत में प्राप्त किया। जब तक वजह सबूत पैकेट उसके पास रहे, सील्ड हालत में रहे। वजह सबूत पैकेट मालखाना में जमा का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 37/640 पर क्रम सं. 01 ता 05 पर किया जो प्रदर्श पी–16 व प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 16–ए है, पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 16 का अंकन अनुसंधान अधिकारी के कहे अनुसार किया हो। यह कहना गलत है कि वजह सबूत सील्डशुदा अवस्था में उसके द्वारा जमा ना किया गया हो।

साक्षी पी.डब्ल्यू. 10 अमरजीत चावला जो कायमी मुकदमा व चार्जशीट का साक्षी है, ने न्यायालय के सक्षम अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.02.2013 को वह पुलिस थाना अनूपगढ में एसएचओ के पद पर तैनात था, उस रोज बलकरणजीतसिंह उर्फ रिंकू ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–09 पेश की जिस पर परिवादी, उसके हस्ताक्षर व कार्यवाही पुलिस, कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन है। प्रदर्श पी–09 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2013 प्रदर्श पी–17 दर्ज कर अनुसंधान बचनसिंह एएसआई के सुपुर्द किया। अनुसंधान से आरोपी शम्मी उर्फ शमशेरसिंह, अजीतसिंह व मनफूलराम के विरूद्व जुर्म धारा 458, 459, 323, 325, 308, 427/34 भा.द.सं. प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली उसके समक्ष पेश करने पर उसने उक्त मुलजिमान के विरूद्व उक्त धाराओं में न्यायालय में चार्जशीट पेश की। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षा में यह कथन करता है कि यह कहना सही है कि इस मुकदमा

का अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया। उसके सामने पत्रावली जुर्म प्रमाणित पाये जाने के बाद पेश हुई, जिस पर चार्जशीट न्यायालय में उसके द्वारा पेश की गई थी।

साक्षी पी.डब्ल्यू. 11 बचनसिंह जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने द्वारा किये गये सिलसिलेवार अनुसंधान का वर्णन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 18.02.2013 को वह पुलिस थाना अनूपगढ़ में सहायक उपनिरक्षक के पद पर तैनात था, उस रोज सी.आई. अमरजीत सिंह चावला ने अभियोग संख्या 103/13 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 मुस्तगीस की निशानदेही से तैयार किया, जिस पर गवाह अमित, हरविन्द्र सिंह, परिवादी बलकरणसिंह व उसके हस्ताक्षर है, जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 01 ए है। घटनास्थल से खून कांच की सीसी में डालकर सील मुहर कर फर्द मकबुजगी खून प्रदर्श पी–02 तैयार किया, जिस पर उसके, गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील है। घटनास्थल पर खड़ी गाडी बोलेरो नम्बर एचआर 04 सी 0151 का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी–03 तैयार की। गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लिखे। परिवादी ने वरवक्त घटना पहने पारचात खून आलुदा कमीज व टीशर्ट पेश किए, जिन्हें सील मुहर कर फर्दजब्ती प्रदर्श पी–04 तैयार की, जिस पर उसके व गवाहान के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दिनाक 20.02.2013 को मुलजिम मनफूल राम, शमशेर सिंह उर्फ शम्मी, अजीत सिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 18, 19 व 20 तैयार की। जैर–हिरासत मुलजिम अजीत सिंह ने स्वेच्छया से ईत्तिला दी कि उसने एक लाठी को शम्मी उर्फ शमशेर सिंह के मकान की बैठक में रखे सोफे के नीचे छिपाकर रखी है, जिसकी पर्द ईत्तिला प्रदर्श पी–21 तैयार की, जिस पर उसके व अभियुक्त अजीतसिंह के हस्ताक्षर है। जैर–हिरासत मुलजिम शमी उर्फ शमशेर सिंह ने स्वेच्छया से ईत्तिला दी कि उसने एक लाठी बांस अपने मकान में सिढियों की तरफ बने कमरे में रखे पलंग के गद्दे के नीचे छिपाकर रखा है, जिसकी फर्द ईत्तिला प्रदर्श पी–22 है, जिस पर उसके व शमशेर सिंह के हस्ताक्षर

है। जैर–हिरासत मुलजिम मनफूलराम ने स्वेच्छया से ईत्तिला दी की उसने एक डंडा बांस शमी उर्फ बामशेर के मकान में बनी रसोई के पास वाले कमरे में छिपाकर रखा है, जिसकी फर्द ईत्तिला प्रदर्श पी–23 है, जिस पर उसके व मनफूलराम के हस्ताक्षर है। मुताबिक ईत्तिला मुलजिम अजीत सिंह ने शमशेर सिंह के मकान से लाठी डंडा बरामद करवाया, जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सील मुहर कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी –05 तैयार की, जिस पर उसके, परमपाल सिंह, गुरपाल सिंह व मुलजिम अजीत सिंह के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूनासील अंकित है। मुलजिम शमी उर्फ शमशेर सिंह ने ईत्तिला मुताबिक अपने मकान में से डंडा बांस बरामद करवाया, जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सील मुहर कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–06 तैयार की, जिस पर उसके, परमपाल सिंह, गुरपालसिंह व मुलजिम शमशेर सिंह के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। ईत्तिला के मुताबिक मनफूलराम ने शमशेर सिंह के मकान से एक डंडा बांस बरामद करवाया, जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सील मुहर कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–07 तैयार की, जिस पर उसके, परमपाल सिंह, गुरपालसिंह व मुलजिम मनफूलराम के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। लाठियों के बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी –08 जिसका हालात मौका प्रदर्श पी –08–ए है। बलकरणजीतसिंह व बलजीत कौर की चोटों का मुआयना करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रपत्र क्रमशः प्रदर्श पी 09, प्रदर्श पी 12 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। मजरुबान की चोटों की एक्स–रे प्लेट, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 13, प्रदर्श पी 11 व 14 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। जब्तशुदा व सील्ड वजह सबूत मालखाना में जमा करवाए। मालखाना रजिस्टर्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी –16–ए है। घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी 24 ता 29 है। उसके अनुसंधान से मुलजिम शमी उर्फ शमशेर सिंह, अजीत सिंह व मनफूल के विरूद्ध जुर्म धारा 458, 459, 323, 325, 308, 427/34 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने पर बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी अमरजीत चावला के समक्ष पेश की जिनके द्वारा मुलजिमान के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश

किया गया। उक्त साक्षी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन करता है कि अंग्रेजसिंह मजरूब के घर का पड़ोसी है। यह बात सही है कि इस मुकदमा में जब्त वजह सबूत को एफएसएल जांच के लिये नहीं भेजे गये व ना ही इनकी जांच करवाई गई।

10. अभियुक्त मनफूलराम व अजीतसिंह पर आरोपित आरोप के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन व विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण के आहत/प्रार्थी बलकरणजीत सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 9 में दिनांक 17.02.2013 को रात के करीब दस बजे पुरानी रंजिश को लेकर शमी उर्फ शमशेरसिंह, अजीतसिंह, गोविन्दसिंह, विपिन गोमा, मनफूल और तीन–चार अन्य लोगों के उसके घर का मैन गेट तोड़कर पिस्तोल, लोहे की रॉड़, हॉकी व लाठियों से लैस होकर उसके घर में घुसने, उसके सिर पर अजीतसिंह द्वारा लोहे की रॉड़ से वार करने, उसकी माता, बहिन व पत्नी द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश करने पर उक्त सभी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ भी मारपीट करने का कथन किया है परन्तु उक्त प्रार्थी/आहत पी डब्ल्यू 6 बलकरणजीत सिंह ने न्यायालय में लेखबद्व बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उक्त व्यक्ति पिस्तोल, लोहे की रॉड़, हॉकी आदि हथियारों के साथ उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे हों। इसके विपरीत उक्त साक्षी यह कथन करता है कि घटना के दिन शमशेरसिंह ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और उसके द्वारा घर का दरवाजा खोला गया था । जहां प्रार्थी/आहत बलकरणजीत सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अजीतसिंह द्वारा उसके सिर में लोहे की रॉड़ मारने का कथन करता है, वहीं न्यायालय में लेखबद्व बयान में शमशेरसिंह द्वारा उसके सिर पर वार किये जाने का विरोधाभासी कथन करता है। इसके साथ ही घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं अन्य आहत प्रार्थी की माता पी डब्ल्यू 1 बलजीतकौर अपने बयानों में अजीतसिंह, शमशेरसिंह उर्फ शमी व मनफूल इन सभी के द्वारा लाठी से बलकरणजीत सिंह के चोट मारने का कथन करती है। इस प्रकार आहत बलकरणजीत सिंह के किसके द्वारा

व किस हथियार से चोटें पहुंचाई गई, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास एवं विसंगती है। प्रार्थी बलकरणजीत सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उसके घर में आये व्यक्तियों के द्वारा सर्वप्रथम उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसका बचाव करने के लिये आये उसकी माता, बहिन व पत्नी के साथ मारपीट की गई जबकि उक्त साक्षी न्यायालय में लेखबद्व बयानों में सर्वप्रथम अपनी माता के साथ मारपीट होने और उसके बाद शमशेरसिंह के द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने का विरोधाभासी कथन करता है। इसके साथ ही पी डब्ल्यू 6 बलकरणजीत सिंह दौराने प्रतिपरीक्षा यह कथन करता है कि उसकी माता बलजीतकौर के शमशेरसिंह ने चोट मारी थी जबकि स्वयं पी.डब्ल्यू.1 बलजीत कौर अभियुक्त अजीतसिंह के द्वारा उसके पैर पर लाठी की चोट मारने का विरोधाभासी कथन करती है। इस प्रकार प्रकरण के अन्य आहत बलजीतकौर के आई चोटों के संबंध में भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी डब्ल्यू 6 बलकरणजीत सिंह ने यह स्वीकार किया है कि मारपीट करने जो लोग आये थे, वह उनमें से शमशेरसिंह को जानता है, बाकी लोगों के मुंह बंधे हुए थे, उनको वह नहीं जानता है जबकि बलकरणजीत सिंह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद दर्ज करवाई गई है परन्तु यह स्वीकृत स्थिति है कि दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में कोई पहचान कार्यवाही नहीं की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से पूर्व प्रार्थी बलकरणजीत सिंह को उसके साथ मारपीट किये जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की जानकारी कैसे हुई। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब बलकरणजीत सिंह दौराने प्रतिपरीक्षा स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसके चोट लगने के पश्चात वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया था और उसके बाद क्या हुआ, उसे पता नहीं है।

प्रकरण के आहतगण पी डब्ल्यू 1 बलजीतकौर व पी डब्ल्यू 6 बलकरणजीत सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि तथाकथित घटना के समय घटना स्थल पर आहत बलकरणजीत सिंह की बहिन तथा पत्नी उपस्थित थी परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से बलकरणजीत सिंह की पत्नी को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बलकरणजीत सिंह की बहिन पी डब्ल्यू 8 कर्मजीतकौर पक्षद्रोही होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है और अपनी साक्ष्य में दिनांक 17.02.2013 को अपने सामने बलकरणजीत सिंह व बलजीतकौर के साथ किसी के द्वारा मारपीट किये जाने से इंकार करती है। पी डब्ल्यू 6 बलकरणजीत सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि घटना के समय झगड़े की आवाज सुनकर अंग्रेजसिंह वगैरह मौका पर आ गये थे परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त स्वतंत्र साक्षी अंग्रेजसिंह को भी पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पी डब्ल्यू 2 अमित व पी डब्ल्यू 3 हरविन्द्रसिंह भी पक्षद्रोही होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं और उक्त साक्षी अपने समक्ष नक्शा मौका बनाये जाने, बोलेरो गाड़ी का निरीक्षण किये जाने व कपड़े बरामद किये जाने से इंकार करते हुए पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन करते हैं।

जहां तक अभियुक्तगण की सूचना पर तथाकथित घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी का प्रश्न है, अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी/बांस के डंडे जरिये फर्द प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 7 बरामद किये गये थे। उक्त फर्दात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त बरामदगी स्वतंत्र साक्षीगण परमपालसिंह व गुरपालसिंह की उपस्थिति में की गई थी परन्तु उक्त साक्षीगण पी डब्ल्यू 4 परमपालसिंह व पी डब्ल्यू 5 गुरपालसिंह पक्षद्रोही होकर स्वयं के समक्ष कोई भी बरामदगी होने से

स्पष्ट इंकार करते हैं और पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन करते हैं।

इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्ल्यू 7 डॉ0 आनंद गोदारा (चिकित्साधिकारी), पी डब्ल्यू 9 कमललाल (मालखाना प्रभारी), पी डब्ल्यू 10 अमरजीत चावला (तत्कालीन थानाधिकारी), पी डब्ल्यू 11 बचनसिंह अनुसंधानाधिकारी की साक्ष्य लेखबद्व करवाई गई है जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर औपचारिक साक्षी मात्र है जिनकी साक्ष्य से यह तो प्रकट होता है कि आहतगण बलकरणजीत सिंह व बलजीतकौर के शरीर पर आई चोटों के क्रम में पंजीबद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान के दौरान आहतगण की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ तथा लकड़ी के डंडे बरामद कर मालखाना में जमा किये गये थे परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई सुदृढ, विश्वसनीय व अखंडनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित हो कि उक्त चोटें अभियुक्त मनफूलराम व अजीतसिंह के द्वारा कारित की गई हो। ऐसे में सुदृढ विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी संदेह से ग्रसित हो जाती है तथा संदेह का साम्य अभियुक्तगण के पक्ष में जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोप दृढ, विश्वसनीय व प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियुक्तगण मनफूलराम व अजीतसिंह के विरूद्व कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने से यह न्यायालय अभियुक्त मनफूलराम व अजीतसिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित समझता है।

11. अतः अभियुक्तगण मनफूलराम व अजीतसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 458, 459, 323/34, 325/34, 308/34, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- :: आ दे श :: -

12. परिणामतः अभियुक्तगण **1**–मनफूलराम पुत्र लालाराम, निवासी 03–के, पुलिस थाना अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर व **2**– अजीत सिंह पुत्र कश्मीरसिंह, निवासी वार्ड नंबर 13 अनूपगढ़, पुलिस थाना अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 458, 459, 323/34, 325/34, 308/34, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर में **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति के लिये धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करावे।

14. प्रकरण में अभियुक्त **शम्मी उर्फ शमशेर सिंह** पुत्र मेलखसिंह, निवासी वार्ड नंबर 12 अनूपगढ़, पुलिस थाना अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर **मफरूर** है। अतः पत्रावली पर **लाल स्याही से नोट अंकित हो कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं** किया जावे।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

15. निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर